

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विधिक सेवा पंजी क्रमांक :

दिनांक :

छत्तीसगढ़ राज्य की निःशुल्क विधिक सेवा
विधिक सहायता के लिये आवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियमन 2003 के उपविनियमन 13 के अधीन

1. (क) आवेदक का नाम : जाति :
- (ख) पिता/पति का नाम :
- (ग) निवास स्थान : पो. आ. :
- तहसील : थाना :
- जिला : पिन कोड नं.

2. (क) क्या आवेदक ने विधिक सहायता तथा विधिक सलाह इसके पूर्व समिति से चाही थी ?

.....

(ख) क्या आवेदक ने ऐसी विधिक सलाह, यदि कोई हो के अनुसार कार्य किया है ?

.....

(ग) उस रीति के बारे में संक्षिप्त वर्णन, जिसमें आवेदक ने ऐसी विधिक सलाह के अनुसार कार्य किया है ?

3. अपेक्षित विधिक सहायता का रूप –

(क) वाद पत्र या अपील के ज्ञापन या प्रति दावा पर न्यायालय फीस (लगभग रकम)।

.....

(ख) प्रतिपक्ष को तामिल करने के लिए आदेश फीस।

(ग) साक्षियों के व्यय।

(2)

(घ) निर्णयों तथा आदेशों और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां अभिप्राप्त करने के व्यय।

(ङ) हाई कोर्ट पेपर बुक जिनके अन्तर्गत दस्तावेजों का मुद्रण/अनुवाद भी आता है, को तैयार किया जाना।

(च) ऐसा ही अन्य रूप।

4. विवाद के पक्षकारों का नाम एवं पता –

5. विधिक कार्यवाही का स्टेज

6. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य (जगह कम होने की दशा में पृथक से जोड़ दें)

7. स्थान :

8. तारीख :

आवेदक का हस्ताक्षर

-
- नोट :
1. जो अनावश्यक हो उसे काट दें।
 2. जगह कम होने की दशा में पृथक से कागज जोड़ दें।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रारूप – II

(विनियमन 19 के उप-विनियमन 2)

घोषणा सहित वचनबद्ध

मैं उम्र वर्ष

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी

पो. आ. तहसील जिला

निम्नलिखित रूप में वचनबद्ध होता/होती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं उस किसी अध्यपेक्षा या मांग एवं निर्देश का अनुपालन करूंगा/करूंगी, जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर के सचिव या उसके सदस्यों में से किसी के द्वारा की जाये।
2. मैं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा प्रदान की जाने वाली विधिक सेवा अधिवक्ता को अपने मामले की सभी तथ्यों की पूर्ण एवं सत्य सूचना दूंगा/दूंगी।
3. मैं उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को पहुँचने की मांग करता/करती हूँ।

(क) के निर्णय से अपील में ?

(ख) के लिए रिट अधिकारिता में ?

(ग) की प्रकृति की कार्यवाही करने तथा

उससे प्रतिरक्षा करने के लिए ?

आवेदक/घोषणाकर्ता

(जो लागू न हो उसे काट दें)

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रारूप - I

शपथ पत्र

मैं उम्र वर्ष

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी

पो. आ. तहसील जिला एतद् द्वारा

निम्नलिखित रूप में शपथ पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ और शपथ पर कथन करता/करती हूँ।

(क) मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य हूँ।

(ख) मैं मानवजाति में दुर्व्यापार/दुर्व्यवहार करने से पीड़ित या एक भिखारी हूँ।

(ग) मैं विधिक सेवा का पात्र हूँ, क्योंकि मैं स्त्री/बालक हूँ।

(घ) मैं मानसिक रूप से बीमार या निरोग्य/निःशक्त व्यक्ति हूँ।

(ङ) मैं सामूहिक आपदा, जातिगत हिंसा, जाति संबंधी अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक आपदा से पीड़ित होने के कारण अनर्ह अभाव की परिस्थितियों के अधीन एक व्यक्ति हूँ।

(च) मैं औद्योगिक कर्मकार हूँ।

(छ) मैं अभिरक्षाधीन हूँ।

(ज) मेरी वार्षिक आय समस्त श्रोतों से ₹ 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) से अधिक नहीं है।

(झ) मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ।

मैं एतद् द्वारा इस बात से सहमत हूँ कि न्यायालय के मुझे लागत या अन्य प्रसुविधा या लाभ का अधिनिर्णय करने वाली/वाले मेरे पक्ष में एक डिक्रीओं जो आदेश पारित करने की दशा में, विधिक सहायता मुझे प्रदान करने में समिति द्वारा उपगत किए सभी लागतों, प्रभार एवं खर्चों की समिति को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रतिसंदाय करूंगा/करूंगी। मैं एतद् द्वारा सभी ऐसे कार्यों एवं बातों को करने के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव को भी प्राधिकृत कर देता/देती हूँ। जो मुझको संदाय किए जाने हेतु डिक्रीत या आदेशित की गई रकम की वसूली या प्रत्युद्धरण करने के लिए तथा उपर वर्णित प्रयोजन हेतु प्रतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक हो।

मैं एतद् द्वारा यह भी शपथ पर घोषणा करता हूँ कि मेरे पक्ष में मंजूर की गयी डिक्री या दिए गए आदेश के अधीन किसी प्रसुविधा के मामले में, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को ऐसी रकम जोड़ देने की भी स्वतंत्रता होगी जो मुझे विधिक सहायता प्रदान करने में संभवतः उपगत की जा चुकी है और इस बारे में समिति को सत्य सूचना भी दूंगा/दूंगी।

(2)

मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरा मामला उच्च न्यायालय/लोक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया जाए, यदि किसी प्रक्रम में यह समिति द्वारा समझा जाता है कि मेरे मामले में सुलह या निपटारा लोक अदालत के जरिए किया जा सकता है।

आवेदक/शपथकर्ता

(जो आवश्यक न हो उसे काट दें)

सत्यापन

मैं, श्री/श्रीमति/कुमारी उपर नामित अभिसाक्षी एतद् द्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान से सत्य व सही है, उसमें कथन किया गया कुछ भी असत्य नहीं है, तथा कुछ भी छुपाया नहीं गया है। अतः भगवान मेरी सहायता करे।

आज तारीख सन् को पर आधारित किया गया है।

आवेदक/शपथकर्ता

साक्षीगण/पहचानकर्ता

.....
.....
.....